मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड

2793. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई के भागीदारों ने आय-कर से बचने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर तथा विदेशों में भिन्न-भिन्न नामों से अपनी फर्में चला रखी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन व्यक्तियों से सम्बन्धित कितनी फर्मों की क्या संख्या है उनके नाम क्या हैं और वे किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये व्यक्ति उसी पूंजी को कागजों में अनियमित रूप से दिखा कर बैंकों से ऋण लेते हैं तथा सरकार से ठेके प्राप्त करते हैं ;

(घ) क्या इन फर्मों के विरुद्ध जांच इस नियम के आधार पर की है कि एक ही परिवारों के व्यक्तियों की विभिन्न फर्मों के लेखों की एक ही आयकर अधिकारी साथ-साथ पड़ताल करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रकार आय कर अपवंचन के मामले का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). मैसर्स ओरियण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड निगमित कम्पनियां हैं और उनके कोई भागीदार नहीं हैं। बम्बई में ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जिनमें मैसर्स ओरियण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड और मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड को नियन्त्रित करने वाले व्यक्ति के हित निहित हैं। इनमें से कुछ कम्पनियां पुरानी हैं और कुछ गत कुछ वर्षों में चालू की गई हैं। सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि ये कम्पनियां आयकर की चोरी के लिये चलाई गई हैं। विदेशों में चालू की गई कम्पनियों के बारे में भी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

सम्बन्धित कम्पनियों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मैसर्स झुनझुनवाला ब्रदर्स
2. मैसर्स श्रीराम रामीरंजन।
3. रांची, रूरकेला, ऊटकमण्ड और सारावती में ठेके चलाने के लिये साझे की कम्पनियां।
4. झुनझुनवाला जरवियस लिमिटेड।
5. रेयन पल्प मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड।
6. कल्याण पल्प एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड।
7. नेशनल इण्डिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड।
8. आर० जे० एण्ड सन्स।

ये सभी कम्पनियां बम्बई में स्थित हैं।

(ग) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ). ऐसा कोई नियम नहीं है। फिर भी जांच-पड़ताल की सुविधा के लिये केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड इन सब मामलों को केन्द्रित करने की कार्यवाही कर रहा है।

मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन

2794. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० ला० वर्मा :
श्री रामेश्वरानन्द :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1962–63, 1963–64 तथा 1964–65 में मैसर्स ओरियन्टल टिम्बर

ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई ने प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में कच्चे माल का उपयोग किया तथा कुल कितना माल तैयार किया और सरकार को कितना उत्पादन शुल्क दिया;

(ख) उपरोक्त निगम ने आपातकाल जोखिम कारखाना बीमा योजना, आपातकाल जोखिम माल बीमा योजना, अग्नि बीमा योजना तथा कर्मचारी प्रतिकर बीमा योजना के अन्तर्गत पृथक्-पृथक् कितनी पालिसियां लीं।

(ग) उपरोक्त भागों (क) और (ख) के उत्तर में दिये गये आंकड़ों के आधार पर इस निगम द्वारा आपातकाल युद्ध जोखिम योजना के अन्तर्गत उत्पादन-शुल्क की कितनी राशि का अपवंचन किया गया प्रतीत होता है; और

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1962-63, 1963-64 तथा 1964-65 में मैसर्स ओरियण्टल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई द्वारा इस्तेमाल किये गये कच्चे माल और तैयार किये गये माल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बताया जाता है कि यह कम्पनी इमारती लकड़ी का काम करती है, जिस पर उत्पादन-शुल्क नहीं लगता। इसलिए, उत्पादन-शुल्क, की सरकार को अदायगी करने का सवाल पैदा नहीं होता।

(ख) यह कम्पनी आपातकाल जोखिम कारखाना बीमा योजना के अधीन हर तिमाही में बीस लाख रुपये से लेकर पच्चीस लाख रुपये तक का बीमा और आपातकाल जोखिम माल बीमा योजना के अधीन अलग अलग तिमाहियों में 8.20 लाख रुपये से लेकर दस लाख रुपये तक का बीमा करवाती है।

आपातकाल जोखिम माल और आपात काल जोखिम कारखाना बीमा योजनाओं के अधीन दी गयी अपनी दरख्वास्तों में कम्पनी ने बताया है कि उसने कारखानों के लिए लगभग 24 लाख रुपये और माल के लिए 6 लाख रुपये से 11 लाख रुपये के बीच का अग्नि-बीमा कराया है।

जहां तक कर्मचारी प्रतिकर बीमा योजना का सम्बन्ध है, कम्पनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह बीमे की राशि सरकार को बताए, क्योंकि यह बीमा स्वेच्छा से कराया जाता है।

(ग) और (घ). भाग (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए, आपात जोखिम बीमा योजनाओं के अधीन उत्पादन-शुल्क वसूल करने का सवाल पैदा नहीं होता किन्तु यदि प्रश्न का संकेत आपात जोखिम योजनाओं के अधीन प्रीमियम न देने की ओर है, तो सही-सही रकम का अभी पता नहीं है और उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है। यदि कभी प्रीमियम की चोरी का पता लगेगा, सम्बन्धित कानूनों के अधीन उस समय इस मामले में उचित कार्यवाही की जायगी।

Houses for Life Insurance Corporation Employees

2795. Shri S. M. Banerjee:
Shri Daji:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether any amount has been sanctioned by the Life Insurance Corporation for building houses for its employees during the current year;

(b) if so, the number of houses to be constructed during 1966;

(c) whether house building loans have also been given to the employees; and

(d) if so, the total amount sanctioned for 1966?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) 55 (approximately).